

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

Govt. of Uttar Pradesh Undertaking

शक्ति भवन: 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

सं०- 66- औस एवं विनियम/पाकालि/08 -2 (21)एनजीए/04

दिनांक: 03.12.08

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की सहयोगी विद्युत वितरण एवं पारेषण कम्पनियों में विभागीय कार्मिकों की अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि अवर अभियन्ता (सा० श्रेणी) के पद पर चयन हेतु परिचालकीय संवर्ग के टेक्नीशियन ग्रेड-॥ व केबिल ज्वाइटर पदधारकों के साथ टेक्नीशियन ग्रेड-। को भी अर्ह किया जाए एवं प्रश्नगत चयन हेतु विभागीय कार्मिकों के लिये कोई अधिकतम आयुसीमा न रखी जाए।

2. अतः एतद्वारा कार्यालय ज्ञाप सं० 61 औस एवं विनियम/पाकालि/08 -2 (21)एनजीए/04 दिनांक: 06.11.08 के प्रस्तर-3 की पांचवी पंक्ति में " / (लाइन) एवं केबिल ज्वाइन्टर " के आगे " तथा टेक्नीशियन ग्रेड-। " एवं प्रस्तर-4 में " टेक्नीशियन ग्रेड-॥ व केबिल ज्वाइन्टर " के आगे " तथा टेक्नीशियन ग्रेड-। " रखा जाता है।

3. उ०प्र० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल) रेगुलेशन, 1972 का नियम-8 (1) विलोपित किया जाता है।

4. उ०प्र० स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रीकल एण्ड मैकेनिकल) रेगुलेशन, 1972 के अन्य प्राविधान यथावत् लागू रहेगे।

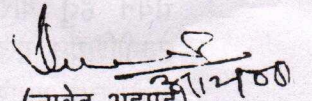
अध्यक्ष

पृ० सं०- 66 (1)-औस एवं विनियम/पाकालि/08 -2 (21)एनजीए/04 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।

3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० राज्य जल विद्युत निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव को कार्यालय ज्ञाप सं० 61 औस एंव विनियम/पाकालि/०8-2 (21)एनजीए/०4 दिनांक: 06.11.08 की प्रति सहित प्रेषित।
5. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निजी सचिव।
6. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, आगरा/कैरको, कानपुर।
7. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/अरा०/काविनी उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
11. पत्रावली सं० 5-विनियम/98.


(जावेद अहमद)
अनुसचिव